# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा
## पीठासीन अधिकारी– अतुल प्रकाश, आई०ए०एस० (प्रशिक्षु)

**प्रकरण संख्या** : 85/18

1 चन्द्रप्रकाश आत्मज बिरधीलाल, उम्र 46 वर्ष
2 महेन्द्र आत्मज बिरधीलाल, उम्र 36 वर्ष
जाति धाकड, निवासीगण ग्राम अरलिया जागीर, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
– (वादीगण)

बनाम

1 नन्दलाल आत्मज धन्नालाल, उम्र 57 वर्ष, जाति धाकड, निवासी ग्राम अरलिया जागीर, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
2 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा
– (प्रतिवादीगण)

**वाद बाबत इन्द्राज दुरूस्ती**
**अन्तर्गत धारा 89, 92–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम**

उपस्थिति : श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक वादीगण

**दिनांक : 30.07.2019**

### निर्णय

1. यह वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 89, 92–ए के अन्तर्गत न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया गया है।
2. वादी द्वारा अपना वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि :–
   - ग्राम अरलिया जागीर, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में वादीगण के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 174/522 रकबा 0.89 हैक्टर तथा प्रतिवादी क्रम 1 के कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी खसरा नम्बर 174 रकबा 0.52 हैक्टर स्थित है।
   - वादीगण व प्रतिवादी क्रम–1 की उक्त आराजी को नक्शा ट्रेस में उत्तर से दक्षिण दर्शा रखा है जबकि मौके पर वादीगण व प्रतिवादी क्रम–1 द्वारा कदीमी समय से, पूर्व से पश्चिम बंटवारा कर रखा है जिसमें उत्तर की आर वादीगण व दक्षिण की ओर प्रतिवादी क्रम–1 काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। नक्शा ट्रेस में वादीगण व प्रतिवादी क्रम–1 मौके पर काबिज काश्त अनुसार नहीं दर्शाने से वादीगण व प्रतिवादी क्रम–1 के मध्य ऋण आदि लेने में परेशानी पैदा होती है।
   - अतः प्रार्थना है कि वादीगण का वाद विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम अरलिया जागीर, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा स्थित वादीगण के नाम दर्ज आराजी खसरा नम्बर 174/522 रकबा 0.89 हैक्टर व प्रतिवादी क्रम–1 के नाम दर्ज आराजी खसरा नम्बर 174 रकबा 0.52 हैक्टर को नक्शा ट्रेस में उत्तर से दक्षिण के स्थान पर मौके पर काबिज काश्त, पूर्व से पश्चिम दर्शाया जावे तथा उत्तर की ओर वादीगण को व दक्षिण की ओर प्रतिवादी क्रम 1 को नक्शा ट्रेस में राजस्व रिकार्ड में दर्ज खसरा नम्बर के अनुसार दर्शाया जावे।
   - वादीगण द्वारा अपने कथन के समर्थन में विवादित आराजी खसरा नम्बर 174 तथा 174/522 की नकल जमाबन्दी संवत 2070–2073 पेश की गई है।



Scanned by CamScanner

3. दौराने वाद, वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम–1 ने न्यायालय में उपस्थित होकर एक स्व–हस्ताक्षरित राजीनामा प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ''वादीगण व प्रति0 के मध्य लोक अदालत की भावना से राजीनामा हो गया है जिसके आधार पर, वादीगण का वाद, संलग्न नक्शा ट्रेस के अनुसार मौके व काबिज काश्त के अनुसार डिक्री फरमाया जावे।'' इनके द्वारा प्रस्तावानुसार स्व–हस्ताक्षरित नक्शा ट्रेस पेश किया गया। पहचान स्वरूप वादी क्रम–1 द्वारा स्वयं के आधार कार्ड तथा प्रतिवादी क्रम–1 द्वारा स्वयं के ड्राइविंग लाईसेन्स की स्वप्रमाणित प्रति पेश की गई है।

4. वादीगण के अभिभाषक द्वारा अपनी बहस में वादपत्र के कथनों को दोहराते हुये उभयपक्षकारान की ओर से पेश राजीनामा अनुसार प्रकरण का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया गया।

5. हमने वादी अभिभाषक की, प्रकरण पर, बहस अन्तिम के कथनों पर मनन किया और पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात तथा राजीनामा व प्रस्तावित नक्शा ट्रेस का आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया। जिससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि प्रस्तुत प्रकरण में मूल विवाद आराजी से सम्बन्धित न होकर राजस्व नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती का है। उक्त दुरूस्ती के सम्बन्ध में उभय पक्षकारान की ओर से राजीनामा पेश हो चुका है। अतः वाद वादी एवं राजीनामा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा को ग्राम अरलिया जागीर, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा स्थित वादीगण के नाम दर्ज आराजी खसरा नम्बर 174/522 रकबा 0.89 हैक्टर व प्रतिवादी क्रम–1 के नाम दर्ज आराजी खसरा नम्बर 174 रकबा 0.52 हैक्टर की राजस्व जमाबन्दी की यथावत स्थिति कायम रखते हुये, वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम–1 की उपरोक्त खसरा नम्बरान पर मौके पर काबिज काश्त की स्थिति अनुसार नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया।

6. यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 30 जुलाई, 2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

30/7/19

(अतुल प्रकाश) I.A.S. (P)
सहायक कलक्टर (मु.) एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कोटा

Scanned by CamScanner

प्राथमिक डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (मुख्यालय), कोटा**

पीठासीन अधिकारी – अतुल प्रकाश, I.A.S. (P.)

बउनवान :–

1 चन्द्रप्रकाश आत्मज बिरधीलाल, उम्र 46 वर्ष

2 महेन्द्र आत्मज बिरधीलाल, उम्र 36 वर्ष

जाति धाकड, निवासीगण ग्राम अरलिया जागीर, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

– (वादीगण)

बनाम

1 नन्दलाल आत्मज धन्नालाल, उम्र 57 वर्ष, जाति धाकड, निवासी ग्राम अरलिया जागीर, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

2 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा

– (प्रतिवादीगण)

दावा बाबत : 89, 92A RTA

मुकदमा नम्बर : 85 / 18

निर्णय दिनांक : 30-07-2019

न्यायालय हाजा में वादी अभिभाषक श्री घनश्याम नागर की उपस्थिति में (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्री अतुल प्रकाश, आई.ए.एस. (प्रशिक्षु) के समक्ष बहस उपरान्त अन्तिम निपटारे के लिये आज तारीख 30–07–2019 को पेश होने पर वाद वादी एवं राजीनामा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार, लाडपुरा, जिला कोटा को ग्राम अरलिया जागीर, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा स्थित वादीगण के नाम दर्ज आराजी खसरा नम्बर 174/522 रकबा 0.89 हैक्टर व प्रतिवादी क्रम–1 के नाम दर्ज आराजी खसरा नम्बर 174 रकबा 0.52 हैक्टर की राजस्व जमाबन्दी की यथावत स्थिति कायम रखते हुये, वादीगण एवं प्रतिवादी क्रम–1 की उपरोक्त खसरा नम्बरान पर मौके पर काबिज काश्त की स्थिति अनुसार नक्शा ट्रेस में दुरूस्ती किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया।

– खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री आज तारीख 30 जुलाई, 2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

AtulPrakash 30/7/19

(अतुल प्रकाश) I.A.S. (P)
सहायक कलक्टर (मु.) एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट, कोटा

वाद के खर्चे

| वादी | | | प्रतिवादी | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | रूपया | | | रूपया |
| 1. | वाद पत्र के लिये स्टाम्प | | 1. | शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प | |
| 2. | शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प | | 2. | अर्जी के लिये स्टाम्प | |
| 3. | अदर्शो के लिये स्टाम्प | | 3. | प्लीडर के लिये फीस | |
| 4. | ............ रूपये पर प्लीडर की फीस | | 4. | साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय | |
| 5. | साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय | | 5. | आदेशिका की तामिल | |
| 6. | कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल | | 6. | कमिश्नर की फीस | |
| | जोड | | | जोड | |



Scanned by CamScanner